2017 का विधेयक सं.8

भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राज्य में भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

यतः, विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में, विशेषत: कौशल विकास में, तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाने हेतु उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षिक और कौशल विकास सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है;

और यतः, ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि कौशल विकास में शिक्षा और अनुसंधान की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, कौशल विकास और उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है;

और यत:, राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन उप-रजिस्ट्रार, जयपुर 5 के कार्यालय में पुस्तक सं. 4 खण्ड सं. 68 पृष्ठ सं. 166 क्रम संख्या 201603019400240, दिनांक 11 मई, 2016 पर रजिस्ट्रीकृत एक पूर्त न्यास है;

और यतः, राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट ने राजस्थान राज्य में महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, आफ अजमेर रोड, जयपुर- 302037 में अवस्थित अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक

अवसंरचना को अंतरित करने और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और अध्ययन के लिए भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने का परिवचन दिया है। इसने अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए पांच करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है;

और यतः, उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य श्री कृष्ण कुणाल, आई.ए.एस., आयुक्त डी.एस.ई.ई. और एम.डी. आर.एस.एल.डी.सी. (अध्यक्ष), आचार्य आर.पी. यादव, एम.एन.आई.टी. जयपुर (सदस्य), श्री धीरेन्द्र देवर्षी, उच्च शिक्षा (अनुभाग-4) जयपुर (सदस्य), आचार्य विक्टर गम्भीर, प्रेसीडेन्ट, जी.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर (सदस्य), आचार्य हर्ष द्विवेदी, पोद्दार प्रबंध संस्थान, जयपुर (सदस्य) थे;

और यतः, यदि उपर्युक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के कौशल और शैक्षणिक विकास में योगदान होगा;

अत: अब, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विद्या परिषद्" से धारा 23 में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "अ.भा.त.शि.प." से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "प्रबंध बोर्ड" से धारा 22 में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "चेयरपर्सन", "प्रेसीडेन्ट", "प्रति-प्रेसीडेन्ट" से क्रमश: विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन, प्रेसीडेन्ट और प्रति-प्रेसीडेन्ट अभिप्रेत हैं;

(ङ) "वै.औ.अ.प." से केन्द्रीय सरकार की वित्तपोषण एजेन्सी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अभिप्रेत है;

(च) "पाठ्यचर्या पैकेज" से सक्षमता आधारित पाठ्यचर्या पैकेज जिसमें पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकें, छात्र निर्देशिका, प्रशिक्षक गाइड, प्रशिक्षण निर्देशिका, आकलन और मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांत और किसी विशेष कार्य भूमिका में लगे हुए या लगने वाले किसी व्यक्ति के लिए अपेक्षित निष्पादन परिणाम, कौशल और सक्षमता अर्जित करने हेतु किसी छात्र को कौशल शिक्षा प्रदान करने और अध्यापन के लिए अपेक्षित इलैक्ट्रोनिक सामग्री को सम्मिलित करते हुए समस्त ऐसी सामग्री अभिप्रेत है;

(छ) "दूरस्थ शिक्षा" से संचार अर्थात् प्रसारण, टेलीकॉस्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किसी भी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गयी शिक्षा अभिप्रेत है;

(ज) "वि.प्रौ.वि." से केन्द्रीय सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है;

(झ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है

और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं;

(ञ) "फीस" से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से किया गया संग्रहण, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है, जो प्रतिदेय नहीं है;

(ट) "सरकार" से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) "उच्चतर शिक्षा" से 10+2 स्तर से ऊपर ज्ञान के अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(ड) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं या केन्द्रों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में संधारित या मान्यताप्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

(ढ) "भा.कृ.अ.प." से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है;

(ण) "भा.आ.प." से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 102) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है;

(त) "रा.नि.प्र.प." से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था-राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, बंगलोर अभिप्रेत है;

(थ) "रा.अ.शि.प." से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 73) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(द) "निवेश बाह्य केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य निवेश के बाहर स्थापित उसका, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और संधारित कोई केन्द्र अभिप्रेत

है जिसमें विश्वविद्यालय की पूरक सुविधाएं, संकाय और स्टाफ हो;

(ध) "भा.भे.प." से भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 8) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद् अभिप्रेत है;

(न) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(प) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या अधीन स्थापित या गठित कोई निकाय जैसे वि.अ.आ., अ.भा.त.शि.प., रा.अ.शि.प., भा.आ.प., भा.भे.प., रा.नि.प्र.प., भा.कृ.अ.प., दू.शि.प., वै.औ.अ.प. आदि अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य सरकार सम्मिलित है;

(फ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(ब) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(भ) "कौशल" से किसी कार्य-भूमिका को सफलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक निष्पादित करने के लिए शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से अर्जित की गयी अर्हता और सक्षमता अभिप्रेत है;

(म) "प्रायोजक निकाय" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन निगमित राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो उप-रजिस्ट्रार, जयपुर 5 के समक्ष दिनांक 11 मई, 2016 को रजिस्ट्रीकृत है, अभिप्रेत है;

(य) "परिनियम", "आर्डिनेन्स" और "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत हैं;

(कक) "विश्वविद्यालय का छात्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए, जिसमें अनुसंधान उपाधि सम्मिलित है, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो;

(खख) "अध्ययन केन्द्र" से दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में सलाह देने, परामर्श करने या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संधारित या मान्यताप्राप्त कोई केन्द्र अभिप्रेत है;

(गग) "अध्यापक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घघ) "वि.अ.आ." से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है; और

(ङङ) "विश्वविद्यालय" से भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अभिप्रेत है।

3. निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के प्रथम चेयरपर्सन, प्रथम प्रेसीडेन्ट और प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, से इसके द्वारा भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता है।

(2) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट जंगम और स्थावर संपत्ति विश्वविद्यालय में निहित की जायेगी और प्रायोजक निकाय इस

अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पश्चात् ऐसा निहित करने के लिए कदम उठायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय डी.टी.ए.-005-001, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, आफ अजमेर एक्सप्रेस वे, जयपुर- 302037 में अवस्थित होगा और वहीं उसका मुख्यालय होगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.- विश्वविद्यालय के उद्देश्य अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में और ऐसी अन्य शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर अवधारित करे, अनुसंधान और अध्ययन हाथ में लेने तथा उक्त शाखाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने और ज्ञान का प्रसार करने के हैं।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(i) ऐसे कौशल और सहबद्ध क्षेत्रों में, जो विश्वविद्यालय उचित समझे, क्रेडिट फ्रेमवर्क और पाठ्यचर्या पैकेजों से संगत कौशल शिक्षा, अध्यापन और अनुदेश के मान और मापदण्ड परिभाषित करना;

(ii) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट विषयों में और ऐसे कौशल और सहबद्ध क्षेत्रों में, जो कि विश्वविद्यालय ज्ञान और कौशल प्रशिक्षण के प्रसार के लिए और इसके उद्देश्यों से संगत उचित समझे, क्रेडिट फ्रेमवर्क और पाठ्यचर्या पैकेजों के अनुसार पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए, जो अवधारित किये जायें, शिक्षा प्रदान करना;

(iii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, प्रदर्शनियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(iv) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना करना और उनका संधारण करना;

(v) अनुसंधान और परामर्श के लिए उपबंध करना, और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थानों या निकायों के साथ ऐसे समझौते करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(vi) डिग्रियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विशेष उपाधियां प्रदान करना;

(vii) विहित रीति से सम्मानिक डिग्रियां और अन्य विशेष उपाधियां प्रदान करना;

(viii) विश्वविद्यालय के किसी छात्र के ज्ञान और सक्षमता के आंकलन की परीक्षा या किसी अन्य अध्युपाय के, या प्रवेश के, मान परिभाषित करना;

(ix) परीक्षाएं या ज्ञान या सक्षमता के अन्य आंकलन, जैसाकि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, करवाना;

(x) कौशल में छात्रों के प्रायोगिक प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए उद्योगों को चिह्नित करना और सहयोग करना और उपार्जन क्रेडिटों के प्रयोजन के लिए उद्योग में ऐसे प्रायोगिक प्रशिक्षण में किसी छात्र द्वारा प्राप्त सक्षमता की मान्यता के मान परिभाषित करना;

(xi) कार्य या उद्योग में सुसंगत अनुभव पर आधारित कौशल में, पूर्व शिक्षण और सक्षमता की मान्यता के आंकलन के लिए मान और अध्युपाय परिभाषित करना, और क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार ऐसे पूर्व शिक्षण या सक्षमता के लिए क्रेडिट समनुदेशित करना;

(xii) शिक्षण परिणामों पर समझौता किये बिना नये शिक्षण अवसरों का प्रोन्नयन करने के लिए क्रेडिटों के अंतरण हेतु मान अधिकथित करना;

(xiii) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित, ऐसी अर्हताओं और पदनामों सहित, जो वह उचित समझे, कौशल शिक्षा, अध्यापन या अन्य शैक्षणिक स्थितियों को संस्थित

करना, और व्यक्तियों को ऐसे पदों पर पदावधि, अवधि पर या अन्यथा नियुक्त करना;

(xiv) किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था या किसी उद्योग में कार्य कर रहे या इसके अनुरूप कार्य का अनुभव रखने वाले, अपेक्षित ज्ञान अथवा सक्षमता रखने वाले व्यक्तियों को, ऐसे निबंधनों पर और ऐसी अवधि के लिए जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, विश्वविद्यालय के सहायक, अतिथि या अभ्यागत संकाय के रूप में नियुक्त करना;

(xv) कौशल शिक्षकों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के आंकलन और प्रत्यायन के लिए मापदण्ड अधिकथित करना;

(xvi) प्रशासनिक और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xvii) ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण, परामर्श, और सलाहकारी सेवाओं सहित, अनुदेशों और अन्य सेवाओं के लिए फीस और अन्य प्रभारों का संदाय, जैसाकि विश्वविद्यालय उचित समझे, अवधारित करना, विनिर्दिष्ट करना और छात्रों और किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, उद्योग या निगमित निकाय से, प्राप्त करना;

(xviii) विश्वविद्यालय की और इसमें निहित किसी संपत्ति का, ऐसी रीति से जैसीकि विश्वविद्यालय इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित समझे अर्जन, धारण, प्रबंध और व्ययन करना;

(xix) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से उपहार, अनुदान, दान या उपकृतियां प्राप्त करना और वसीयतकर्ताओं, दानदाताओं या, यथास्थिति, अंतरकों से जंगम या स्थावर संपत्तियों की वसीयत, दान और अंतरण प्राप्त करना;

(xx) इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर-भीतर परिसरों और प्रशिक्षण केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए ऐसी

अवसंरचना स्थापित और संधारित करना, जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों;

(xxi) ऐसी कौशल आवश्यकताओं के आंकलन के लिए अध्ययनों का जिम्मा लेना या अध्ययन करवाना, जो भविष्य में अपेक्षित हों और राष्ट्रीय या, यथास्थिति, अन्तरराष्ट्रीय रूप से, संबंधित राज्य में उभरते हुए रोजगार बाजार के निबंधनों के अनुसार कौशल विश्वविद्यालय में दी गयी या दिये जाने के लिए प्रस्तावित शिक्षा से सुसंगत कौशल आंकलन और आवश्यकताओं का डाटाबेस तैयार करना और उसका संधारण करना;

(xxii) उच्चतर शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा को जोड़ने के लिए संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने हेतु किसी अन्य विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व की संस्था के साथ सहयोग करना;

(xxiii) क्षमता निर्माण, सक्षमता विकास, वैश्विक मानकों के ज्ञान और सामर्थ्य के प्रयोजन के लिए कौशल शिक्षा की संस्थाओं के साथ कौशल शिक्षा में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढावा देना;

(xxiv) युवाओं के मध्य कौशल में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना;

(xxv) लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, पंथ या वर्ग का विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए खोला जाना;

(xxvi) ऐसे सभी अन्य क्रियाकलाप करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य के अनुसरण में आवश्यक या साध्य हों;

(xxvii) निवेश-बाह्य अध्यापन और विस्तार सेवाएं संगठित करना और जिम्मा लेना;

(xxviii) विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के मानक विद्या परिषद् के अनुमोदन से अवधारित करना;

(xxix) प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के या प्रशिक्षण केन्द्र के किसी पाठ्यक्रम में राज्य से संबंध रखने वाले छात्रों के लिए विशेष उपबंध करना;

(xxx) विश्वविद्यालय के कार्मिकों, अध्यापकों और छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक अध्युपाय करना जैसाकि आवश्यक समझे जायें;

(xxxi) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन, शैक्षणिक या अनुसंधान पदों को संस्थित करना;

(xxxii) विश्वविद्यालय के संकाय, अधिकारियों और कार्मिकों की नियुक्तियां करना;

(xxxiii) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन के उपबंध करना और अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए प्रदर्शनियों, पुनश्चर्या, अभिविन्यास पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमीनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xxxiv) किसी भी अन्य संगठन के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के विषय में ऐसे निबंधन और शर्तें जो करार पायी जायें, सहकार करना, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे;

(xxxv) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्च शिक्षा के अन्य स्थानों की परीक्षा या अध्ययन की कालावधि (चाहे पूर्णत: या भागत:) को विश्वविद्यालय में परीक्षा या अध्ययन की कालावधि के समकक्ष मान्यता देना और ऐसी मान्यता को किसी भी समय प्रत्याहृत करना;

(xxxvi) विश्वविद्यालय की जंगम या स्थावर संपत्तियों के समस्त या किसी भाग का, विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निबंधनों पर, जैसाकि वह उपयुक्त तथा उचित समझे, विक्रय, विनिमय, पट्टा या अन्यथा व्ययन करना;

(xxxvii) वचनपत्र, विनिमय पत्र या अन्य परक्राम्य लिखत का प्रतिग्रहण और लिखना, बनाना और पृष्ठांकित करना, छूट देना और पराक्रमण करना;

(xxxviii) विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूति को सम्मिलित करते हुए जंगम या स्थावर संपत्ति के संबंध में अभिहस्तांतरण, अंतरण, बंधक, पट्टे, अनुज्ञप्तियां और करार निष्पादित करना;

(xxxix) विश्वविद्यालय के किसी लिखत या किसी कारबार के संव्यवहार को निष्पादित करने के लिए, किसी व्यक्ति को नियुक्त करना, जो वह उचित समझे;

(xl) विश्वविद्यालय की किन्हीं कक्षाओं या विभागों को संचालित करने से परित्याग करना और प्रविरत रहना;

(xli) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ करार करना;

(xlii) बन्धपत्रों, बन्धकों, वचन पत्रों या विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं भी संपत्तियों और आस्तियों पर आधारित अन्य बाध्यताओं या प्रतिभूतियों या बिना किन्हीं भी प्रतिभूतियों के और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे, और विश्वविद्यालय की निधियों को चुकाने के लिए, धन जुटाने से आनुषंगिक व्यय, और उधार लिये गये किसी धन का

पुनर्संदाय और मोचन करने के लिए धन जुटाना और उधार लेना;

(xliii) विश्वविद्यालय की निधियां या विश्वविद्यालय में न्यस्त धन, ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से, जो उचित समझी जाये, निवेश करना और किसी निवेश को समय-समय पर अंतर्विनिमय करना;

(xliv) ऐसे परिनियम, आर्डिनेंस या विनियम बनाना, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय के कार्यों और प्रबंधन को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे जायें और उनको परिवर्तित, संशोधित और प्रतिसंहृत करना;

(xlv) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, जैसे पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और ग्रेच्यूटी, जैसा वह उचित समझे, गठित करना और ऐसे अनुदान करना जो वह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के फायदे के लिए ठीक समझे;

(xlvi) विश्वविद्यालय के प्रेसीडेन्ट या किसी समिति या किसी उप-समिति या शासकों के बोर्ड के अनुमोदन से इसके निकाय के किसी एक या अधिक सदस्यों या इसके अधिकारियों को इसकी समस्त या कोई भी शक्तियां प्रत्यायोजित करना; और

(xlvii) ऐसी सभी बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.- विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार से, कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

7. संबद्ध करने की शक्ति का न होना.- विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था को संबद्ध करने या अन्यथा अपने विशेषाधिकार देने की शक्ति नहीं होगी।

8. विन्यास निधि.- (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र पांच करोड़ रुपये की रकम से, जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को जमा करवा दी गयी है, विन्यास निधि स्थापित की जायेगी।

(2) विन्यास निधि का प्रतिभूति निक्षेप के रूप में उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है और इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्य करता है। यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार को सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसका भाग विहित रीति से समपहृत करने की शक्ति होगी।

(3) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोजन विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जा सकेगा किन्तु उसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जायेगा।

(4) विन्यास निधि की रकम, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी या प्रत्याभूत दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विश्वविद्यालय के नाम से विनिहित की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिहित रखी जायेगी या सरकारी खजाने में ब्याज वाले प्रायोजक निकाय के व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक जमा रखी जायेगी।

(5) दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विनिधान के मामले में, प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र राज्य सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे और सरकारी खजाने में ब्याज वाले व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा के मामले में जमा इस शर्त पर की जायेगी कि रकम राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना नहीं निकाली जायेगी।

9. साधारण निधि.- विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे साधारण निधि कहा जायेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों के अनुसरण में दी गयी परामर्शी सेवा और किये गये अन्य कार्य से प्राप्त आय;

(घ) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां।

10. साधारण निधि का उपयोजन.- साधारण निधि का उपयोजन, विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित सभी आवर्ती या अनावर्ती व्ययों को पूरा करने में किया जायेगा:

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबंध बोर्ड द्वारा नियत की जायें, के बाहर, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायेगा।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-

(i) चेयरपर्सन;

(ii) प्रेसीडेन्ट;

(iii) प्रति-प्रेसीडेन्ट;

(iv) प्रोवोस्ट;

(v) कुलानुशासक;

(vi) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(vii) कुल-सचिव;

(viii) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और

(ix) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

12. चेयरपर्सन.- (1) चेयरपर्सन, राज्य सरकार की सहमति से प्रायोजक निकाय द्वारा, उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु चेयरपर्सन, उसकी पदावधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) चेयरपर्सन के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।

(3) चेयरपर्सन, उसके पदाभिधान से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(4) चेयरपर्सन, यदि उपस्थित हो, प्रबंध बोर्ड की बैठकों की, और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की, अध्यक्षता करेगा।

(5) चेयरपर्सन की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(i) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में किसी भी सूचना या अभिलेख की अपेक्षा करना;

(ii) प्रेसीडेन्ट नियुक्त करना;

(iii) धारा 13 की उप-धारा (8) के उपबंधों के अनुसार प्रेसीडेन्ट को हटाना; और

(iv) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

13. प्रेसीडेन्ट.- (1) प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल में से चेयरपर्सन द्वारा की जायेगी और वह उप-धारा (8) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा:

परन्तु तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वह व्यक्ति तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि प्रेसीडेन्ट उसकी अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारित करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) प्रेसीडेन्ट के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।

(3) प्रेसीडेन्ट विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा।

(4) प्रेसीडेन्ट, चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(5) यदि प्रेसीडेन्ट की राय में किसी भी ऐसे मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सर्वप्रथम अवसर पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता:

परन्तु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई प्रेसीडेन्ट द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यह और कि जहां प्रेसीडेन्ट द्वारा की गयी ऐसी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो ऐसा व्यक्ति, उसे संसूचित ऐसी कार्रवाई की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर प्रबंध बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा और प्रबंध बोर्ड, प्रेसीडेन्ट द्वारा की गयी कार्रवाई को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

(6) यदि, प्रेसीडेन्ट की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई भी विनिश्चय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संबंधित प्राधिकारी को उसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेगा और यदि वह प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय का पुनरीक्षण करने से

इन्कार करता है या विफल रहता है तो ऐसा मामला चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) प्रेसीडेन्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेंसों द्वारा विहित किये जायें।

(8) यदि चेयरपर्सन का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रेसीडेन्ट का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या उस स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, प्रेसीडेन्ट से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व प्रेसीडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

14. प्रति-प्रेसीडेन्ट.- (1) प्रति-प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति चेयरपर्सन द्वारा प्रेसीडेन्ट के परामर्श से की जायेगी।

(2) प्रति-प्रेसीडेन्ट तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेगा और दूसरी पदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) प्रति-प्रेसीडेन्ट की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(4) यदि चेयरपर्सन का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रति-प्रेसीडेन्ट का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या उस स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, प्रति-प्रेसीडेन्ट से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व प्रति-प्रेसीडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(5) प्रति-प्रेसीडेन्ट, ऐसे मामलों में, जो प्रेसीडेन्ट द्वारा उसे समय-समय पर समनुदेशित किये जायें, प्रेसीडेन्ट की सहायता करेगा

और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो प्रेसीडेन्ट द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

15. प्रोवोस्ट.- (1) प्रोवोस्ट की नियुक्ति प्रेसीडेन्ट द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) प्रोवोस्ट विश्वविद्यालय में अनुशासन को सुनिश्चित करेगा और अध्यापकों और कर्मचारियों के विभिन्न निकायों को विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करेगा।

(3) प्रोवोस्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

16. कुलानुशासक.- (1) कुलानुशासक की नियुक्ति प्रेसीडेन्ट द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) कुलानुशासक छात्रों में अनुशासन बनाये रखने और विभिन्न छात्र निकायों को विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलानुशासक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

17. संकाय का संकायाध्यक्ष.- (1) प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा जो प्रेसीडेन्ट द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) संकायाध्यक्ष, प्रेसीडेन्ट के परामर्श से, जब कभी भी अपेक्षित हो, संकाय की बैठक बुलायेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। वह संकाय की नीतियां और विकास कार्यक्रम बनायेगा और उन्हें समुचित प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(3) संकाय का संकायाध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

18. कुल-सचिव.- (1) कुल-सचिव की नियुक्ति चेयरपर्सन द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) विश्वविद्यालय की ओर से कुल-सचिव द्वारा सभी संविदाएं हस्ताक्षरित और सभी दस्तावेज तथा अभिलेख अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(3) कुल-सचिव प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य-सचिव होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी.- (1) प्रेसीडेन्ट द्वारा मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अन्य अधिकारी.- (1) विश्वविद्यालय इतने अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके कृत्यकरण के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:-

(i) प्रबंध बोर्ड;

(ii) विद्या परिषद्;

(iii) संकाय; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

22. प्रबंध बोर्ड.- (1) विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(क) चेयरपर्सन;

(ख) प्रेसीडेन्ट;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्देशित पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् या अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं के विशेषज्ञ होंगे;

(घ) चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंध या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ;

(च) कौशल, रोजगार, उद्यमिता, श्रम और कारखाना एवं बायलर्स विभाग, सरकार का एक प्रतिनिधि; और

(छ) प्रेसीडेन्ट द्वारा नामनिर्देशित दो अध्यापक।

(2) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। विश्वविद्यालय की समस्त जंगम और स्थावर संपत्तियां प्रबंध बोर्ड में निहित होंगी। उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा उपबंधित हैं, साधारण अधीक्षण और निदेशन का उपबंध करना और विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर नियंत्रण करना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों द्वारा किये गये विनिश्चयों का उस दशा में पुनरीक्षण करना जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के अनुरूप न हों;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब सभी प्रयासों के बावजूद विश्वविद्यालय का सहज कृत्यकरण संभव न हो; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) प्रबंध बोर्ड की किसी कलैंडर वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होंगी।

(4) प्रबंध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।

23. विद्या परिषद्.- (1) विद्या परिषद् में प्रेसीडेन्ट और इतने अन्य सदस्य होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रेसीडेन्ट विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा।

(3) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, और तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय रखेगी और उन पर साधारण अधीक्षण का प्रयोग करेगी।

(4) विद्या परिषद् की एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होंगी।

(5) विद्या परिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

24. अन्य प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

25. प्राधिकारी की सदस्यता के लिए निरर्हता.- कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह-

(क) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है;

(घ) प्राइवेट कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लग रहा है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है।

26. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.- विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

27. आपात रिक्तियों का भरा जाना.- किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या उसे हटाये जाने के कारण या जिस हैसियत से उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था उसमें परिवर्तन होने के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की सदस्यता में हुई कोई भी रिक्तियां यथासंभव शीघ्र ऐसे व्यक्ति या ऐसे निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने ऐसे सदस्य को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया था:

परन्तु किसी आपात रिक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, केवल शेष अवधि के लिए ऐसे प्राधिकारी का सदस्य रहेगा।

28. समिति.- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे निर्देश-निबंधनों सहित इतनी समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों। ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

29. परिनियम.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कृत्य, जो समय-समय पर गठित किये जायें;

(ख) प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) कुल-सचिव और मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें और उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) वह रीति जिससे और ऐसी कालावधि जिसके लिए प्रोवोस्ट और कुलानुशासक नियुक्त किये जायेंगे और उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) वह रीति जिससे संकायों के संकायाध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे और उनकी शक्तियां और कृत्य;

(च) अन्य अधिकारियों और अध्यापकों की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें और उनकी शक्तियां और कृत्य;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें और उनके कृत्य;

(ज) अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया;

(झ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ञ) छात्रों को अध्यापन फीस के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबंध में उपबंध;

(ट) स्थानों के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबंधित उपबंध;

(ठ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से संबंधित उपबंध;

(ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या से संबंधित उपबंध;

(ढ) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारियों का सृजन;

(ण) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(त) नये विभागों का सृजन और विद्यमान विभागों का समापन या पुनःसंरचना;

(थ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(द) पदों के सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(ध) फीस का पुनरीक्षण;

(न) विभिन्न पाठ्य विवरणों में स्थानों की संख्या का परिवर्तन; और

(प) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विहित किये जाने अपेक्षित हैं या विहित किये जायें।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियम प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे और राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये परिनियमों पर विचार करेगी और ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, सहित, जो वह आवश्यक समझे, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर उनका अनुमोदन करेगी।

(4) विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित परिनियमों पर अपनी सहमति से संसूचित करेगा और यदि वह उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किन्हीं भी या समस्त उपांतरणों को प्रभावी करने का इच्छुक नहीं है तो वह उसके लिए कारण दे सकेगा और ऐसे कारणों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(5) राज्य सरकार उसके द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित परिनियमों को राजपत्र में प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात् परिनियम ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

30. आर्डिनेन्स.- (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी मामलों के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान किये जाने और अभिप्राप्त किये जाने के संबंध में किये जाने वाले उपाय;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्यों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में उपबंध;

(झ) ऐसे किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाये;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और

(ट) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हों।

(2) विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स विद्या परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तुत आर्डिनेन्सों पर राज्य सरकार, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर विचार करेगी और या तो उन्हें अनुमोदित करेगी या उनमें उपान्तरण के लिए सुझाव देगी।

(4) विद्या परिषद्, या तो राज्य सरकार के सुझावों को सम्मिलित करते हुए आर्डिनेन्सों को उपान्तरित करेगी या राज्य सरकार

द्वारा दिये गये किन्हीं भी सुझावों को सम्मिलित न करने के कारण देगी और ऐसे कारण, यदि कोई हों, के साथ आर्डिनेन्स राज्य सरकार को वापस भेजेगी और उनकी प्राप्ति पर राज्य सरकार विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेगी और विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी।

31. विनियम.- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, अपने स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम बना सकेंगे।

32. प्रवेश.- (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समान पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य की किसी एजेन्सी द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी:

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार होगा।

33. फीस संरचना.- (1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के अनुमोदन के लिए भेजेगा।

(2) समिति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित फीस-

(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात्-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए स्रोत जुटाने के लिए; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है,

तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित फीस संरचना तीन वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी और विश्वविद्यालय ऐसी फीस संरचना के अनुसार फीस प्रभारित करने का हकदार होगा।

(4) विश्वविद्यालय ऐसी फीस से भिन्न, जिसके लिए वह उप-धारा (3) के अधीन हकदार है, किसी भी नाम से कोई फीस प्रभारित नहीं करेगा।

34. परीक्षाएं.- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की 30 अगस्त तक न कि उसके पश्चात् विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची तैयार और प्रकाशित करेगा और उस अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा।

स्पष्टीकरण.- "परीक्षाओं की अनुसूची" से प्रत्येक प्रश्न पत्र, जो परीक्षा स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ के समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें प्रायोगिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा:

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ रहा हो तो वह यथासंभव एक रिपोर्ट, उसमें प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह अनुसूची के अनुपालन के लिए उचित समझे।

35. परिणामों की घोषणा.- (1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा उस विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर करने का

प्रयास करेगा और किसी भी दशा में ऐसे परिणाम ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर-भीतर घोषित करेगा:

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय उपर्युक्त पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर-भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है तो विश्वविद्यालय एक रिपोर्ट, उसमें विलम्ब के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह उचित समझे।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा के परिणाम केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराये जायेंगे कि विश्वविद्यालय ने धारा 34 या, यथास्थिति, इस धारा में यथा-नियत समय अनुसूची का पालन नहीं किया है।

36. दीक्षांत समारोह.- विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति से आयोजित किया जायेगा।

37. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.- विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (रा.नि.प्र.प.) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य निकाय से मानकों के अनुरूप प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और राज्य सरकार और ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमों से संबद्ध हैं, रा.नि.प्र.प. या किसी अन्य प्रत्यायन निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को दिये ग्रेड के बारे में सूचित करेगा। विश्वविद्यालय प्रत्यायन निकाय के मानकों के अनुरूप समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवायेगा।

38. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का पालन किया जाना.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी सभी सुविधाएं और

सहायता उपलब्ध करायेगा जिनकी उनके द्वारा उनके कृत्यों का निर्वहन और उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षा की जाये।

39. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे और उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेंगी।

40. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखे प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किये जायेंगे।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) प्रबंध बोर्ड के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) उप-धारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक लेखे और तुलनपत्र की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेंगी। विश्वविद्यालय के लेखों और संपरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत राज्य सरकार की राय, यदि कोई हो, प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखी जायेगी। प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह उचित समझे और अनुपालन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट की जायेगी।

41. राज्य सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.- (1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी अन्य विषय से संबंधित स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें वह उचित समझे, निरीक्षण करवा सकेगी।

(2) राज्य सरकार सुधार कार्रवाई के लिए ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशों से विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधार उपाय अपनायेगा और सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में प्रयास करेगा।

(3) यदि विश्वविद्यालय उप-धारा (2) के अधीन की गयी सिफारिशों का अनुपालन युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर करने में विफल रहा है तो राज्य सरकार ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह ऐसे अनुपालन के लिए उचित समझे।

42. राज्य सरकार की सूचना की अपेक्षा करने की शक्तियां.- (1) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय से उसके कार्यकरण, कृत्यों, उपलब्धियों, अध्यापन के स्तर, परीक्षा और अनुसंधान या ऐसे किन्हीं भी अन्य मामलों के संबंध में, जो वह विश्वविद्यालय की दक्षता के निर्णयन के लिए आवश्यक समझे, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जो नियमों द्वारा विहित किया जाये, सूचना की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित सूचना विहित समय के भीतर भिजवाने के लिए आबद्ध होगा।

43. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.- (1) प्रायोजक निकाय, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को विहित रीति से इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम रूप से नोटिस देकर विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा:

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन राज्य सरकार के अनुमोदन और नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

44. कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियां.- (1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन

उसके द्वारा जारी किये गये किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा राज्य सरकार को दिये गये किन्हीं भी परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तो वह विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए इस बारे में नोटिस जारी करेगी कि उसके परिसमापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस पर विश्वविद्यालय का जवाब प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये निदेशों के अतिक्रमण का, या उसके द्वारा दिये गये परिवचनों का पालन बंद करने का या वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्ट्या मामला है तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी जो वह आवश्यक समझे।

(3) राज्य सरकार, उप-धारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी अभिकथनों की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी जांच अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय निहित होती हैं, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री जो साक्ष्य में पोषणीय हो, के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(6) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लघंन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा दिये गये परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है तो वह विश्वविद्यालय के परिसमापन के आदेश करेगी और एक प्रशासक नियुक्त करेगी और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और अधिकारी उस प्रशासक के आदेश और निदेश के अध्यधीन होंगे।

(7) उप-धारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन प्रबंध बोर्ड की समस्त शक्तियां होंगी और वह प्रबंध बोर्ड के समस्त कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का तब तक प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूर्ण न कर ले और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान न कर दिये जायें।

(8) नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों के अंतिम बैचों को उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् प्रशासक इस प्रभाव की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा।

(9) उप-धारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जायेगा और विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व ऐसी तारीख से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

45. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

46. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

47. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.- इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेन्सों के उपबंध, उन मामलों के संबंध में जिनके बारे में राज्य विधान-मण्डल को विधि बनाने

की अनन्य शक्ति है, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

48. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

———————

अनुसूची 1
अवसंरचना

1. भूमि: ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा सं. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 176, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 242, 245, 247, 248, 251, 252, 253, 255, 183/2568, 183/2599, 189/2502, 189/2600, 189/2601, 191/2677 एवं 193/2518 और ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा सं. 658, 660, 661, 658/2910 एवं 658/2945 में समाविष्ट 30.050 एकड़ भूमि तथा डी.टी.ए.-005-001 और 005-002, ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा सं. 574 और 575 में समाविष्ट 7.367 एकड़ भूमि।

2. भवन:

(i) प्रशासनिक खण्ड:

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग: 38

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
मुख्य कार्यालय	04
छोटे कार्यालय	07
भोजनशालाएं	02
प्रक्षालन कक्ष	07
नियंत्रण कक्ष	01
स्वागत कक्ष सह आगन्तुक लाउन्ज	02
पुस्तकालय	01
कार्य स्थल (कर्मचारिवृन्द के लिए)	13
सर्वर कक्ष	01
कुल	**38**

(ख) कुल निर्मित क्षेत्र का माप: 668 वर्ग मीटर

(ii) शैक्षणिक खण्ड:

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग: 38

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
कार्यालय	06 (प्रोवोस्ट, कुलानुशासक और संकायाध्यक्ष कार्यालय को सम्मिलित करते हुए)
स्वागत कक्ष सह आगन्तुक लाउन्ज	02
कार्यशालाएं	05
प्रयोगशालाएं	03
सैद्धान्तिक कक्ष (सी.एन.सी. प्रोग्रामिंग कक्ष, कक्षाएं)	08
चिकित्सा कक्ष	01
गृह रख-रखाव कक्ष	01
भंडार	02
प्रक्षालन कक्ष	02
सम्मेलन कक्ष	02
संकाय कक्ष	01 (24 स्टेशनों सहित)

भोजनशालाएं	02
लॉकर कक्ष	01
पुस्तकालय सह सेमीनार हाल	01
परीक्षा नियंत्रण कक्ष	01
कुल	**38**

(ख) कुल निर्मित क्षेत्र का माप: 7050 वर्ग मीटर

(iii) निवासीय खण्ड:

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग: 55

इकाइयों का प्रवर्ग	**इकाइयों की संख्या**
कक्ष (दो के द्वारा अधिभोग)	52
कामन कक्ष (प्रत्येक तल पर)	03
कुल	**55**

(ख) छात्रावास निर्मित क्षेत्र : 3112 वर्ग मीटर

(ग) भोजनालय निर्मित क्षेत्र : 1195 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र: 12025 वर्ग मीटर

अन्य सुख-सुविधाएं

- डेडीकेटेड 2 एम.बी.पी.एस. लीज्ड लाइन कनेक्शन
- सम्पूर्ण भवन में वाई-फाई कनेक्टिविटी
- स्वचालित मोड पर कार्य करने वाले 140 के.वी.ए. जनरेटर के साथ कार्यक्रमों के दौरान 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति
- काफी लाउन्ज
- उच्च गुणवता वाले ध्वनि ध्वनिकी
- खेल जैसेकि बास्केटबाल/टेबिल टेनिस/बेडमिंटन
- एल.सी.डी. प्रोजेक्टर और स्क्रीन
- टेली-कांफ्रेंसिंग सुविधाएं

अनुसूची 2

शाखाएं जिनमें विश्वविद्यालय अध्ययन और अनुसंधान का जिम्मा लेगा कौशल संकाय

;1द्ध विनिर्माण और मोटर-वाहन कौशल शिक्षा संकाय

;2द्ध सन्निर्माण, अवसंरचना और लोक स्वास्थ्य कौशल शिक्षा संकाय

;3द्ध वैद्युत, इलैक्ट्रोनिक्स, फोटोनिक्स, सूचना प्रोद्योगिकी, कम्प्यूटर, दूरसंचार कौशल शिक्षा संकाय

;4द्ध व्यवसाय प्रबंधन, व्यापार और खुदरा, उद्यमिता और परंपरागत कौशल शिक्षा संकाय

;5द्ध स्वास्थ्य परिचर्या, स्वास्थ्य, घरेलू कार्य, घर की देखभाल और सौंदर्य की देखभाल कौशल शिक्षा संकाय

;6द्ध परिवहन और प्रचालन-तन्त्र कौशल शिक्षा संकाय

;7द्ध शिक्षा, संचार माध्यम और मनोरंजन कौशल शिक्षा संकाय

;8द्ध कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन कौशल शिक्षा संकाय

;9द्ध सुरक्षा, पर्यटन और आतिथ्य कौशल शिक्षा संकाय

;10द्ध बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा कौशल प्रशिक्षण संकाय

;11द्ध वस्त्र, हस्तशिल्प, खिलौना डिजाइन, रत्न और आभूषण, साज सामान और फर्नीचर एवं फिटिंग कौशल शिक्षा संकाय

;12द्ध शेष रहे क्षेत्र कौशल परिषद् में समाविष्ट करने के लिए कोई अन्य संकाय

सहबद्ध संकाय

;1द्ध शिक्षा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी

;2द्ध प्रबंधन अध्ययन

;3द्ध विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी

;4द्ध विधि

;5द्ध कला, वाणिज्य और मानविकी

;6द्ध चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग और औषधनिर्माण विज्ञान और सह-चिकित्सा शिक्षा को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य परिचर्या

;7द्ध योजना और स्थापत्य-कला

;8द्ध भाषाएं

;9द्ध ज्ञान के कोई अन्य उभरते हुए क्षेत्र

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में, विशेषत: कौशल विकास में, तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाने हेतु उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षिक और कौशल विकास सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है।

ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि कौशल विकास में शिक्षा और अनुसंधान की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, कौशल विकास और उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक

उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है।

राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन उप-रजिस्ट्रार, जयपुर 5 के कार्यालय में पुस्तक सं. 4 खण्ड सं. 68 पृष्ठ सं. 166 क्रम संख्या 201603019400240, दिनांक 11 मई, 2016 पर रजिस्ट्रीकृत एक पूर्त न्यास है।

राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट ने राजस्थान राज्य में महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, आफ अजमेर रोड, जयपुर- 302037 में अवस्थित अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना को अंतरित करने और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और अध्ययन के लिए भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने का परिवचन दिया है। इसने अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए पांच करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है।

उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य श्री कृष्ण कुणाल, आई.ए.एस., आयुक्त डी.एस.ई.ई. और एम.डी. आर.एस.एल.डी.सी. (अध्यक्ष), आचार्य आर.पी. यादव, एम.एन.आई.टी. जयपुर (सदस्य), श्री धीरेन्द्र देवर्षी, उच्च शिक्षा (अनुभाग-4) जयपुर (सदस्य), आचार्य विक्टर गम्भीर, प्रेसीडेन्ट, जी.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर (सदस्य), आचार्य हर्ष द्विवेदी, पोद्दार प्रबंध संस्थान, जयपुर (सदस्य) थे।

राज्य सरकार की यह राय है कि यदि उपर्युक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के कौशल और शैक्षणिक विकास में योगदान होगा।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के

लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 28 दिसम्बर, 2016 को भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 4) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 29, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के अनुमोदन से इसमें प्रगणित मामलों के संबंध में परिनियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 30, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के अनुमोदन से इसमें प्रगणित मामलों के संबंध में आर्डिनेन्स बनाने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 31, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, उनके अपने कारबार के संचालन के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 41, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को, ऐसी रीति के संबंध में, जिससे विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा, नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 42, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को, ऐसी रीति के संबंध में, जिससे विश्वविद्यालय से

विश्वविद्यालय के संबंध में सूचना मंगवायी जा सकेगी, नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव,
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 8 of 2017

THE BHARTIYA SKILL DEVELOPMENT UNIVERSITY, JAIPUR BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide for establishment and incorporation of the Bhartiya Skill Development University, Jaipur in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.

Whereas, with a view to keep pace with the rapid development in all spheres of knowledge in the world and the country, especially in Skill Development, it is essential to create world level modern research and study facilities in the State to provide state of the art educational and skill development facilities to the youth at their door steps to make out of them human resources compatible to liberalized economic and social order of the world;

And whereas, rapid advancement in knowledge and changing requirements of human resources makes it essential that a resourceful and quick and responsive system of education and research in skill development be created which can work with entrepreneurial zeal under an essential regulatory set up and such a system can be created by allowing the private institutions engaged in skill development and higher education, having sufficient resources and experience to establish universities and by incorporating such universities with such regulatory provisions as ensure efficient working of such institutions;

And whereas, the Rajendra and Ursula Joshi Charitable Trust is a charitable trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 (Central Act No. 2 of 1882), at Book No. 4 Volume No. 68 page No. 166 serial number 201603019400240, dated 11th May, 2016 in the office of Sub-Registrar, Jaipur V;

And whereas, Rajendra and Ursula Joshi Charitable Trust has given an undertaking to transfer physical and academic infrastructure, as specified in Schedule-I, located at Mahindra World City, Off Ajmer Road, Jaipur - 302037 in the State of Rajasthan and to invest the said infrastructure in Bhartiya Skill Development University for education, training, research and studies in the disciplines specified in Schedule-II. It has also deposited an amount of rupees five Crore to be utilized in establishment of an endowment fund in accordance with the provisions of this Act;

And whereas, the sufficiency of the above infrastructure has been got enquired into by an expert committee, appointed in this behalf by the State Government consisting of Mr. Krishna Kunal, IAS, the Commissioner DSEE and MD RSLDC (Chairman), Professor R.P. Yadav, MNIT Jaipur (Member), Mr. Dhirendra Devarshi, Higher Education (Group-4) Jaipur (Member), Professor Victor Gambhir, President, JECRC University, Jaipur (Member), Professor Harsh Dwivedi, Podar Institute of Management, Jaipur (Member);

And whereas, if the aforesaid infrastructure is utilized in incorporation as a University and the said Rajendra and Ursula Joshi Charitable Trust is allowed to run the University, it would contribute in the skills and academic development of the people of the State;

Now, therefore, be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Bhartiya Skill Development University, Jaipur Act, 2017.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University as specified in section 23;

(b) "AICTE" means All India Council of Technical Education established under All India Council of Technical Education Act, 1987 (Central Act No. 52 of 1987);

(c) "Board of Management" means the Board of Management of the University as specified in section 22;

(d) "Chairperson", "President", "Pro-President" means respectively the Chairperson, President and Pro-President of the University;

(e) "CSIR" means the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi- a funding agency of the Central Government;

(f) "Curriculum package" means the competency based curriculum package consisting of syllabus, textbooks, student's manual, trainers guide, training manual, assessment and evaluation guidelines and all such material, including electronic material, required to impart skills education and teaching to prepare a student to acquire performance outcomes, skills, and

competencies required of a person engaged or likely to be engaged, in a particular job role;

(g) "Distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(h) "DST" means the Department of Science and Technology of the Central Government;

(i) "employee" means a person appointed by the University to work in the University and includes teachers, officers and other employees of the University;

(j) "fee" means collection made by the University from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(k) "Government" means the State Government of Rajasthan;

(l) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(m) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions or centres, maintained or recognized to be as such by the University;

(n) "ICAR" means the Indian Council of Agriculture Research, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860);

(o) "MCI" means Medical Council of India constituted under section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act No. 102 of 1956);

(p) "NAAC" means the National Assessment and Accreditation Council, Bangalore, an autonomous institution of the UGC;

(q) "NCTE" means the National Council of Teacher Education constituted under section 3 of the National Council of Teacher Education Act, 1993 (Central Act No. 73 of 1993);

(r) "off campus center" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(s) "PCI" means Pharmacy Council of India constituted under section 3 of the Pharmacy Act, 1948 (Central Act No. 8 of 1948);

(t) "prescribed" means prescribed by Statutes made under this Act;

(u) "regulating body" means a body established or constituted by or under any law for the time being in force laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as UGC, AICTE, NCTE, MCI, PCI, NAAC, ICAR, DEC, CSIR, etc. and includes the State Government;

(v) "rules" means the rules made under this Act;

(w) "Schedule" means the Schedule to this Act;

(x) "Skills" means the qualification and competency achieved through education and learning for performing a job role successfully and efficiently;

(y) "Sponsoring Body" means the Rajendra and Ursula Charitable Trust incorporated under Indian Trust Act, 1882 (Central Act No. 2 of 1882) registered before Sub-Registrar Jaipur V, on 11th May 2016;

(z) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;

(aa) "student of the University" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a

degree, diploma or other academic distinction duly instituted by the University including a research degree;

(bb) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(cc) "teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any other form to the students for pursuing a course of study of the University;

(dd) "UGC" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act No. 3 of 1956); and

(ee) "University" means the Bhartiya Skill Development University, Jaipur.

3. Incorporation.- (1) The first Chairperson, first President of the University and the first members of the Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the Bhartiya Skill Development University, Jaipur.

(2) The movable and immovable property specified in Schedule-I shall be vested in the University and the Sponsoring Body shall, immediately after the commencement of this Act, take steps for such vesting.

(3) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(4) The University shall situate and have its headquarters at DTA-005-001, Mahindra World City, off Ajmer Express Way, Jaipur–302037.

4. The objects of the University.- The objects of the University shall be to undertake research and studies in the disciplines specified in Schedule-II and such other disciplines as the University may with the prior approval of the State Government, determine from time to time and to achieve excellence and impart and disseminate knowledge in the said disciplines.

5. Powers and functions of the University.- The University shall have the following powers and functions, namely:-

(i) to define norms and parameters of skills education, teaching and instruction, consistent with the credit framework and curriculum packages, in such skills and allied areas as the University may deem fit;

(ii) to impart instructions, including correspondence and such other courses, as it may determine, in accordance with the credit framework and curriculum packages, in the disciplines specified in Schedule-II and in such skills and allied areas as the University may deem fit, for the dissemination of knowledge and skills training and consistent with its objects;

(iii) to institute and award fellowships, scholarships, exhibitions, studentships, medals and prizes;

(iv) to establish and maintain hostels for students of the University;

(v) to make provisions for research and consultancy, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(vi) to award degrees, diplomas, certificates and other distinctions;

(vii) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed;

(viii) to define norms of, examination or any other measure of assessment of knowledge and competency of a student of, or admission to, the University;

(ix) to hold examinations or other assessments of knowledge or competency, as the University may, from time to time, determine;

(x) to identify and collaborate with industries for purposes of practical training of students in skills and to define norms for recognition of competency attained by a student in such practical training in industry for the purpose of earning credits;

(xi) to define norms and measures of assessment for recognition of prior learning and competency in skills, based on relevant experience at work or in Industry, and to assign credits for such prior learning or competency in accordance with the credit framework;

(xii) to lay down norms for transfer of credits to promote new learning opportunities without compromising on learning outcomes;

(xiii) to institute skills education, teaching or other academic positions required by the University, with such qualifications and designations as it may deem fit, and to appoint persons on tenure, term or otherwise to such positions;

(xiv) to appoint persons working or having commensurate experience of working, in any other university or educational Institution or any industry, possessing the required knowledge or competency, as adjunct, guest or visiting faculty of the University on such terms and for such duration as the University may deem fit;

(xv) to lay down parameters for assessment and accreditation of skill educators and training providers.

(xvi) to create administrative and other posts and to make appointments thereto;

(xvii) to determine, specify and receive payment of fees and other charges, as the University may deem fit, from students and any other person, institution, Industry or body corporate for instructions and other services, including training, consultancy, and advisory services, provided by such University;

(xviii) to acquire, hold, manage and dispose of any property belonging to, or vested in, the University in such manner as the University may deem fit for attainment of its object;

(xix) to receive gifts, grants, donations or benefactions from the Central Government or the State Government and to receive bequests, donations and transfer of movable or immovable properties from testators, donors or transferors, as the case may be;

(xx) to establish and maintain such infrastructure, including campuses and training centers within its territorial jurisdiction, as may be necessary for attainment of its objects;

(xxi) to undertake, or cause to be undertaken, such studies for assessment of skill needs as may be required in the future and to prepare and maintain a database of skills assessment and requirements in terms of the emerging employment market in the State concerned, nationally or internationally, as the case may be, relevant to the instructions imparted or proposed to be imparted in the Skills University;

(xxii) to collaborate with any other university or institution of national importance in offering joint degree programmes for bridging skill education with higher education;

(xxiii) to promote international collaboration in skills education with institutions of skill education for the purpose of capacity building, developing

competency, knowledge and ability to global standards;

(xxiv) to promote a spirit of entrepreneurship in skills amongst youth;

(xxv) to be open to all persons irrespective of sex, religion, race, caste, creed, or class;

(xxvi) to carry out all such other activities as may be necessary or feasible in furtherance of the object of the University;

(xxvii) to organize and undertake extra-mural teaching and extension services;

(xxviii) to determine standards of admission to the University and training centers with the approval of Academic Council;

(xxix) to make special provisions for students belonging to the State for admission in any course of the University or training center with the approval of the Board of Management;

(xxx) to regulate and enforce discipline among the employees, teachers and students of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(xxxi) to institute professorships, associate professorships, assistant professorships, readerships, lectureships, and any other teaching, academic or research posts required by the University;

(xxxii) to make appointments of the faculty, officers and employees of the University;

(xxxiii) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize and conduct exhibitions, refresher courses, orientation courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;

(xxxiv) to co-operate with any other organization in the matter of education, training and research for such purposes as may be agreed upon on such

terms and conditions as the University may from time to time determine;

(xxxv) to recognize examinations of, or periods of study (whether in full or in part) of other universities, institutions or other places of higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University and to withdraw such recognition at any time;

(xxxvi) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may think fit and proper without prejudice to the interest and activities of the University;

(xxxvii) to draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate, promissory notes, bills of exchange or other negotiable instruments;

(xxxviii) to execute conveyances, transfers, mortgages, leases, licences and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University;

(xxxix) to appoint, in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as it may deem fit;

(xl) to give up and cease from carrying on any classes or departments of the University;

(xli) to enter into any agreement with Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;

(xlii) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon

such terms and conditions as it may think fit and to payout of the funds of the University, all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed;

(xliii) to invest the funds of the University or money entrusted to the University in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;

(xliv) to make such statutes, ordinances or regulations as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and to alter, modify and to rescind them;

(xlv) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such as pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employees of the University;

(xlvi) to delegate all or any of its powers to the President of the University or any committee or any sub-committee or to anyone or more members of its body or its officers with the approval of the Board of Governors; and

(xlvii) to do all such things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

6. University to be self-financed.- The University shall be self-financing and shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the State Government.

7. No power of affiliation.- The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.- (1) There shall be established an Endowment Fund, as soon as may be after coming into force of

this Act with an amount of rupees five crore which has been deposited by the Sponsoring Body with the State Government.

(2) The Endowment Fund shall be used as security deposit to ensure that the University complies with the provisions of this Act and functions as per provisions of this Act or Statutes, Ordinances, regulations or rules made thereunder. The State Government shall have the powers to forfeit in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the Sponsoring Body contravenes any of the provisions of this Act or Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder.

(3) Income from the Endowment Fund may be utilized for development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(4) The amount of the Endowment Fund shall be invested and kept invested until the dissolution of the University in long term securities issued or guaranteed by the State Government or deposited and kept deposited until the dissolution of the University in the interest bearing Personal Deposit Account of the Sponsoring Body in the Government Treasury.

(5) In case of investment in long term securities, the certificates of the securities shall be kept in the safe custody of the State Government and in case of deposit in the interest bearing Personal Deposit Account in Government Treasury, the deposit shall be made with the condition that the amount shall not be withdrawn without the permission of the State Government.

9. General Fund. - The University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:-

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contributions made by the Sponsoring Body;

(c) any income received from consultancy and other work undertaken by the University in pursuance of its objectives;

(d) trusts, bequests, donations, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.- The General Fund shall be utilized for meeting all expenses, recurring or non-recurring in connection with the affairs of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without the prior approval of the Board of Management.

11. Officers of the University.- The following shall be the officers of the University, namely:-

(i) the Chairperson;
(ii) the President;
(iii) the Pro-President;
(iv) the Provost;
(v) the Proctor;
(vi) the Deans of Faculties;
(vii) the Registrar;
(viii) the Chief Finance and Accounts Officer; and
(ix) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

12. The Chairperson.- (1) The Chairperson shall be appointed by the Sponsoring Body with the consent of the State Government for a period of five years from the date on which he enters upon his office:

Provided that a Chairperson shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon the office.

(2) Any vacancy in the office of Chairperson shall be filled within six months from the date of such vacancy.

(3) The Chairperson shall, by virtue of his office, be the head of the University.

(4) The Chairperson shall, if present, preside at the meetings of the Board of Management and at the convocation of the University for Conferring Degrees, diplomas or other academic distinctions.

(5) The Chairperson shall have the following powers, namely:-

(i) to call for any information or record in connection with the affairs of the University;

(ii) to appoint the President;

(iii) to remove the President in accordance with the provisions of sub-section (8) of section 13; and

(iv) such other powers as may be prescribed by the Statutes.

13. The President.- (1) The President shall be appointed by the Chairperson from a panel of three persons recommended by the Board of Management and shall, subject to the provisions contained in sub-section (8), hold office for a term of three years:

Provided that after expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided further that a President shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon the office.

(2) Any vacancy in the office of President shall be filled within six months from the date of such vacancy.

(3) The President shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of the authorities of the University.

(4) The President shall preside at the convocation of the University in the absence of the Chairperson.

(5) If in the opinion of the President it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the President then such case shall be referred to the Chairperson, whose decision thereon shall be final:

Provided further that where any such action taken by the President affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Board of Management and the Board of Management may confirm or modify or reverse the action taken by the President.

(6) If, in the opinion of the President, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act, or Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall direct the authority concerned to revise its decision within fifteen days from the date of its decision and in case the authority refuses or fails to revise such decision, then such matter shall be referred to the Chairperson and his decision thereon shall be final.

(7) The President shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

(8) If the Chairperson is satisfied, on an enquiry made or caused to be made on a representation made to him or otherwise, that the continuance of President in his office is prejudicial to the interests of the University or the situation so warrants, he may, by an order in writing and stating the reasons therein for doing so, ask the President to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the President shall be given an opportunity of being heard.

14. The Pro-President.- (1) The Pro-President shall be appointed by the Chairperson in consultation with the President.

(2) The Pro-President shall hold office for a period of three years and shall be eligible for re-appointment for a second term.

(3) The conditions of service of the Pro-President shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(4) If the Chairperson is satisfied, on an enquiry made or caused to be made on a representation made to him or otherwise, that the continuance of the Pro-President in his office is prejudicial to the interests of the University or the situation so warrants, he may, by an order in writing and stating the reasons therein for doing so, ask the Pro-President to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Pro-President shall be given an opportunity of being heard.

(5) The Pro-President shall assist the President in such matters as are assigned to him by the President from time to time

and shall exercise such powers and perform such functions as may be delegated to him by the President.

15. The Provost.- (1) The Provost shall be appointed by the President for such period and in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Provost shall ensure discipline in the University and shall keep the various bodies of the teachers and employees advised of the various policies and practices in the University.

(3) The Provost shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

16. The Proctor.- (1) The Proctor shall be appointed by the President for such period and in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Proctor shall be responsible for the maintenance of discipline among the students and keep the various students' bodies advised of the various policies and practices in the University.

(3) The Proctor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

17. The Dean of Faculty.- (1) There shall be a Dean of each Faculty who shall be appointed by the President for a period of three years in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Dean shall convene meetings of the Faculty, as and when required, in consultation with the President and shall preside over the same. He shall formulate the policies and development programme of the Faculty and present the same to the appropriate authorities for their consideration.

(3) The Dean of Faculty shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

18. The Registrar.- (1) The Registrar shall be appointed by the Chairperson, in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) All contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the University.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Board of Management and Academic Council but he shall not have a right to vote.

(4) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

19. The Chief Finance and Accounts Officer.- (1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the President in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

20. Other officers.- (1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment and powers and functions of such officers shall be such as may be prescribed by the Statutes.

21. Authorities of the University.- The following shall be the authorities of the University, namely:-

(i) the Board of Management;

(ii) the Academic Council;

(iii) the Faculties; and

(iv) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

22. The Board of Management.- (1) The Board of Management of the University shall consist of the following, namely:-

(a) the Chairperson;
(b) the President;
(c) five persons nominated by the Sponsoring Body, out of whom two shall be eminent educationists or specialists in disciplines specified in Schedule-II;
(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chairperson;
(e) one expert of finance, nominated by the Chairperson;
(f) one representative of Ministry of Skills, Employment, Entrepreneurship, Labour and Factories and Boilers, Government; and
(g) two teachers, nominated by the President.

(2) The Board of Management shall be the principal executive body of the University. All the movable and immovable properties of the University shall vest in the Board of Management. It shall have the following powers, namely:-

(a) to provide general superintendence and directions and to control the functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act, or the Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder;
(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the Sponsoring Body about the voluntary liquidation of the University, if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible, in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the Statutes.

(3) The Board of Management shall meet at least twice in a calendar year.

(4) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

23. The Academic Council.- (1) The Academic Council shall consist of the President and such other members as may be prescribed by the Statutes.

(2) The President shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, and the Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The Academic Council shall meet at least twice a year.

(5) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.

24. Other authorities.- The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes.

25. Disqualification for membership of an authority.- A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities of the University, if he-

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(b) is an un-discharged insolvent;

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude;

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

26. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority of the University.- No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

27. Filling up of emergent vacancies.- Any vacancies occurred in the membership of authorities of the University due to death, resignation or removal of a member or due to change of capacity in which he was appointed or nominated, shall be filled up as early as possible by the person or the body who had appointed or nominated such a member:

Provided that the person appointed or nominated as a member of an authority of the University on an emergent vacancy, shall remain member of such authority for only the remaining period of the member, in whose place he is appointed or nominated.

28. Committee.- The authorities or officers of the University may constitute such committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed

by such committees. The constitution of such committees and their duties shall be such as may be prescribed by the Statutes.

29. The Statutes.- (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the President and his powers and functions;

(c) the manner and terms and conditions of appointment of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner in which and the period for which the Provost and the Proctor shall be appointed and their powers and functions;

(e) the manner in which the Deans of Faculties shall be appointed and their powers and functions;

(f) the manner and terms and conditions of appointment of other officers and teachers and their powers and functions;

(g) the terms and conditions of service of employees of the University and their functions;

(h) the procedure for arbitration in case of disputes between officers, teachers, employees and students;

(i) the conferment of honorary degrees;

(j) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(k) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(l) provisions regarding fees to be charged from students;

(m) provisions regarding number of seats in different courses;

(n) creation of new authorities of the University;

(o) accounting policy and financial procedure;

(p) creation of new departments and abolition or restructuring of existing departments;

(q) institution of medals and prizes;

(r) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(s) revision of fees;

(t) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(u) all other matters which under the provisions of this Act are required to be, or may be, prescribed by the Statutes.

(2) The Statutes of the University shall be made by the Board of Management and shall be submitted to the State Government for its approval.

(3) The State Government shall consider the Statutes, submitted by the University and shall give its approval thereon within two months from the date of its receipt with such modifications, if any, as it may deem necessary.

(4)The University shall communicate its agreement to the Statutes as approved by the State Government, and if it desires not to give effect to any or all of the modifications made by the State Government under sub-section (3), it may give reasons therefor and after considering such reason, the State Government may or may not accept the suggestions made by the University.

(5) The State Government shall publish the Statutes, as finally approved by it, in the Official Gazette, and thereafter, the Statutes shall come into force from the date of such publication.

30. The Ordinances.- (1) Subject to the provisions of this Act or Statutes made thereunder, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;
(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the measures to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
(d) the conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
(f) fees to be charged for the courses, examinations, degrees and diplomas of the University;
(g) the conditions of residence of the students of the University;
(h) provision regarding disciplinary action against the students;
(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or Statutes made thereunder are required to be provided by the Ordinances.

(2) The Ordinances of the University shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management, shall be submitted to the State Government for its approval.

(3) The State Government shall consider the Ordinances submitted under sub-section (2) within two months from the date of their receipt and shall either approve them or give suggestions for modifications therein.

(4) The Academic Council shall either modify the Ordinances incorporating the suggestion of the State Government or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the State Government and shall return the Ordinances alongwith such reasons, if any, to the State Government and on receipt of the same, the State Government shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the Ordinances of the University with or without such modifications.

31. Regulations.- The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act and Statutes and Ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and that of the committees appointed by them.

32. Admissions.- (1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at the State level either by

an association of the universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Reservation in admission to the University for scheduled castes, scheduled tribes, backward classes, special backward classes, women and handicapped persons shall be provided as per the policy of the State Government.

33. Fees structure.- (1) The University may, from time to time, prepare its fees structure and send it for approval of the committee constituted for the purpose.

(2) The committee shall consider the fees structure prepared by the University and if it is satisfied that the proposed fees is-

(a) sufficient for,-

(i) generating resources for meeting the recurring expenditure of the University; and

(ii) the savings required for the further development of the University; and

(b) not unreasonably excessive,

it may approve the fees structure.

(3) The fees structure approved by the committee under sub-section (2) shall remain in force for three years and the University shall be entitled to charge fees in accordance with such fees structure.

(4) The University shall not charge any fees, by whatever name called, other than that for which it is entitled under sub-section (3).

34. Examinations.- At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a schedule of examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to the schedule.

Explanation.- "Schedule of Examination" means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a scheme of examinations and shall also include the details about the practical examinations:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University has been unable to follow this schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the State Government incorporating the reasons for making a departure from the published schedule. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for the compliance of the schedule.

35. Declaration of results.- (1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for that particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the aforesaid period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the reasons for such delay to the State Government. The State Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the time schedule as stipulated in section 34 or, as the case may be, in this section.

36. Convocation.- The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be

prescribed by the Statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

37. Accreditation of the University.- The University shall obtain accreditation from the NAAC or any other body specified by UGC, as per the norms and inform the State Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by the NAAC or other accrediting body to the University. The University shall get renewed such accreditation from time to time as per the norms of the accrediting body.

38. University to follow rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies.- Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

39. Annual report.- (1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and copy of the same shall be submitted to the Sponsoring Body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the State Government.

40. Annual accounts and audit.- (1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Board of Management.

(3) A copy of the annual accounts and audit report along with the observations of the Board of Management shall be submitted to the Sponsoring Body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the State Government. The advice of the State Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Board of Management. The Board of Management shall issue such directions, as it may deem fit and compliance shall be reported to the State Government.

41. Powers of the State Government to inspect the University.- (1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the State Government may cause an inspection, to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The State Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such inspection for corrective action. The University shall adopt such corrective measures and make efforts so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University has failed to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the State Government may give such directions as it may deem fit for such compliance.

42. Powers of the State Government to call for information.- (1) The State Government may call for information from the University relating to its working, functions, achievements, standard of teaching, examination and research or any other matters as it may consider necessary to judge the efficiency of the University in such form and within such time as may be prescribed by rules.

(2) The University shall be bound to furnish the information as required by the State Government under sub-section (1) within the prescribed time.

43. Dissolution of the University by the Sponsoring Body.- (1) The Sponsoring Body may dissolve the University by giving a notice to the effect in the prescribed manner to the State Government and the employees and the students of University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the approval of the State Government and the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the Sponsoring Body.

44. Special powers of the State Government in certain circumstances.- (1) If it appears to the State Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, Statutes or Ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any undertakings given by it to the State Government or a situation of financial mismanagement or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty-five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the State Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a *prima facie* case of contravening any of the provisions of this Act or the rules, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder or of violating directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertakings given by it or of financial mismanagement or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The State Government shall, for the purposes of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or

officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence; and

(c) requisitioning any public record from any court or office.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub-section (3), if the State Government is satisfied that the University has contravened any of the provisions of this Act or rules, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mismanagement and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall make orders for liquidation of the University and appoint an administrator and thereupon the authorities and officers of the University shall be subject to the order and direction of the administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the

University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having been awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to the effect to the State Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the State Government shall, by a notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification the University shall stand dissolved and all the assets and liabilities of the University shall vest in the Sponsoring Body from such date.

45. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

46. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, shall be laid before the House of the State Legislature.

47. The Act to have overriding effect.- The provisions of this Act and the rules, Statutes, Ordinances made thereunder shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, for the time being in force, relating to the matters in respect of which the State Legislature has exclusive power to make laws.

48. Repeal and savings.- (1) The Bhartiya Skill Development University, Jaipur Ordinance, 2016 (Ordinance No. 4 of 2016) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

_____

SCHEDULE-I

Infrastructure

1. Land: 30.050 acres of land comprising in Khasra Nos. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 176, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 242, 245, 247, 248, 251, 252, 253, 255, 183/2568, 183/2599, 189/2502, 189/2600, 189/2601, 191/2677 and 193/2518 of village Newata, Tehsil Sanganer, district Jaipur and Khasra Nos. 658, 660, 661, 658/2910 and 658/2945 of Village Kalwara, Tehsil Sanganer, District Jaipur and 7.367 acres of land comprising in Khasra Nos. 574 and 575 of Village Tilawas in DTA-005-001 and 005-002 at Tehsil Sanganer, District Jaipur.

2. Buildings:

(i) Administrative Block:

(a) Number and category of Units: 38

Category of Units	**No. of Units**
Main offices	04
Smaller offices	07
Pantries	02
Wash Rooms	07
Control Room	01
Reception cum visitors lounge	02
Library	01
Work Stations (for Staff)	13
Server Room	01
Total	**38**

(b) Measurement of total built up Area: 668 Square Meters

(ii) Academic Block :

(a) Number and Category of Units : 38

Category of Units	No. of Units
Offices	06 (including Provost, Proctor and Dean Office)
Reception cum visitors lounge	02
Workshops	05
Laboratories	03
Theory Rooms (CNC programming Rooms, Class Rooms)	08
Medical Room	01
House Keeping Room	01
Stores	02
Washrooms	02
Conference Rooms	02
Faculty Room	01 (with 24 stations)
Pantries	02
Locker Room	01
Library cum Seminar Hall	01
Examination Control Room	01
Total	**38**

(b) Measurement of total built up Area: 7050 Square Meters

(iii) **Residential Block :**

(a) Number and Category of Units: 55

Category of Units	No. of Units
Rooms (Twin occupy)	52
Common Rooms (on each floor)	03
Total	**55**

(b) Hostel built up area : 3112 Square Meters

(c) Mess built up area : 1195 Square Meters

Total built up area: 12025 Square Meters

Other amenities

- Dedicated 2MBPS leased line connection
- Wi-Fi connectivity in the entire building
- Round the clock electricity supply during programs with 140 KVA generator that works on auto mode
- Coffee Lounges
- High quality sound acoustics
- Games such as Basket Ball/Table Tennis/Badminton
- LCD projectors and screens
- Tele-conferencing facilities

SCHEDULE-II
Disciplines in which the University shall undertake study and research

Skills Faculties

(1) Faculty of Manufacturing and Automotive Skills Education

(2) Faculty of Construction, Infrastructure and Public Health Skills Education

(3) Faculty of Electrical, Electronics, Photonics, IT, Computers, Telecom Skills Education

(4) Faculty of Business Management, Trade and Retail, Entrepreneurship and Traditional Skills Education

(5) Faculty of Healthcare, Wellness, Domestic Work, Home Care, and Beauty Care Skills Education

(6) Faculty of Transport and Logistics Skills Education

(7) Faculty of Education, Media and Entertainment Skills Education

(8) Faculty of Agriculture, Fisheries, Dairy Farming, Poultry Skills Education

(9) Faculty of Security, Tourism and Hospitality Skills Education

(10) Faculty of Banking, Financial Services and Insurance Skills Training

(11) Faculty of Textiles, Handicrafts, Toy Design, Gems and Jewellery, Furnishings and Furniture and Fittings Skills Education

(12) Any other faculties to cover the remaining Sector Skill Councils

Allied Faculties

(1) Education and Educational Technology.

(2) Management Studies

(3) Science, Engineering and Technology

(4) Law

(5) Arts, Commerce and Humanities

(6) Healthcare including Medical, Dental, Nursing and Pharmaceutical Sciences and Paramedical Education

(7) Planning and Architecture

(8) Languages

(9) Any other emerging areas of knowledge

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to keep pace with the rapid development in all spheres of knowledge in the world and the country, especially in Skill Development, it is essential to create world level modern research and study facilities in the State to provide state of the art educational and skill development facilities to the youth at their door steps to make out of them human resources compatible to liberalized economic and social order of the world.

Rapid advancement in knowledge and changing requirements of human resources makes it essential that a resourceful and quick and responsive system of education and research in skill development be created which can work with entrepreneurial zeal under an essential regulatory set up and such a system can be created by allowing the private institutions engaged in skill development and higher education, having sufficient resources and experience to establish universities and by incorporating such universities with such regulatory provisions as ensure efficient working of such institutions.

The Rajendra and Ursula Joshi Charitable Trust is a charitable trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 (Central Act No. 2 of 1882), at Book No. 4 Volume No. 68 page No. 166 serial number 201603019400240, dated 11th May, 2016 in the office of Sub-Registrar, Jaipur V.

The said Rajendra and Ursula Joshi Charitable Trust had given an undertaking to transfer physical and academic infrastructure, as specified in Schedule-I, located at Mahindra World City, Off Ajmer Road, Jaipur - 302037 in the State of Rajasthan and to invest the said infrastructure in Bhartiya Skill Development University for education, training, research and studies in the disciplines specified in Schedule-II. It had also deposited an amount of rupees five Crore to be utilized in establishment of an endowment fund in accordance with the provisions of this Act.

The sufficiency of the above infrastructure had been got enquired into by an expert committee, appointed in this behalf by

the State Government consisting of Mr Krishna Kunal, IAS, the Commissioner DSEE and MD RSLDC (Chairman), Professor R.P. Yadav, MNIT Jaipur (Member), Mr. Dhirendra Devarshi, Higher Education (Group-4) Jaipur (Member), Professor Victor Gambhir, President, JECRC University, Jaipur (Member), Professor Harsh Dwivedi, Podar Institute of Management, Jaipur (Member).

The State Government is of the view that if the aforesaid infrastructure is utilized in incorporation as a University and the said Rajendra and Ursula Joshi Charitable Trust is allowed to run the University, it would contribute in the skills and academic development of the people of the State.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Bhartiya Skill Development University, Jaipur Ordinance, 2016 (Ordinance No. 4 of 2016) on 29th December, 2016, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 29th December, 2016.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

डॉ. जसवन्त सिंह यादव,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 29 of the Bill, if enacted, shall empower the University to make, with the approval of the State Government, Statutes with regard to matters enumerated therein.

Clause 30 of the Bill, if enacted, shall empower the University to make, with the approval of the State Government, Ordinances with regard to matters enumerated therein.

Clause 31 of the Bill, if enacted, shall empower the authorities of the University to make, with the prior approval of the Board of Management, regulations for conduct of their own business.

Clause 41 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules, with respect to the manner in which inspection of the University may be made.

Clause 42 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to the manner in which the information relating to the University may be called from the University.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of details.

डॉ. जसवन्त सिंह यादव,

Minister Incharge.

2017 का विधेयक सं. 8

भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य में भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 8 of 2017

THE BHARTIYA SKILL DEVELOPMENT UNIVERSITY, JAIPUR BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to provide for establishment and incorporation of the Bhartiya Skill Development University, Jaipur in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Dr. Jaswant Singh Yadav, **Minister-Incharge**)